



Estb. 1980

Ph. No. 01462-225008

Mob. No. 98290-73708

JAGRITI EDUCATION SOCIETY

Registered Under Societies Act. 1958 No.255/84-85

PRESIDENT

R.C.GOYAL

Ref. 2689.....

CFM/277
14/5/19

Date. 01/05/2019

SECRETARY

PUSHPANJALI PAREEK

AHO
Dr

14-5-19

श्रीमान् अध्यक्ष,
राजस्थान आवासन मण्डल ,
जयपुर

सन्दर्भ : मुसप्र/2019/38 दिनांक 11 अप्रैल 2019

विषय :- सोसायटी को शिक्षण प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि आवंटन बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में लेख है कि उपरोक्त सोसायटी द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ छोड़ी गयी भूमि के आवंटन के लिये दिनांक 3 अप्रैल का आवेदन किया था। जिसमें पायी गयी कमियों का निस्तारण कर आपको संचिका प्रेषित है।

14/5/19

- प्रपत्र अ मय आवेदन शुल्क डी. डी. (5 हजार रु आवेदन शुल्क एवं 900 रु 18 प्रतिशत जीएसटी कुल 5900/ रु)
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवासीय योजना गढ़ी थोरियान व्यावर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ छोड़ी गयी भूमि का क्षेत्रफल लगभग 5 हजार वर्ग मीटर है। चूंकि व्यावर उपखण्ड है इसलिये भू आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थान हेतु 6 हजार वर्गमीटर तक आवंटन करने के लिये अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल स्वतंत्र है।

अतः नियमानुसार कार्यवाही कर अनुग्रहित करे।

सधन्यवाद।

संलग्नक :

अ. प्रपत्र अ

- सोसायटी रजिस्ट्रेशन एवं पेन कार्ड की फोटोप्रति
- सोसायटी के संघ विधान की फोटोप्रति
- सोसायटी की कार्यकारिणी सूची
- विद्यालय की सैकण्डरी मान्यता की फोटोप्रति
- आई. टी. आई. की एन.सी.वी.टी. मान्यता की फोटोप्रति
- सोसायटी के तीन वर्ष की अकेक्षण रिपोर्ट

ब. 5900 राशि का डी. डी. अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के नाम

भवदीय
पुष्पांजली पारेक
जाग्रिति एजेंसी (जीएसटी)
(राजस्थान)

प्रपत्र —अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना—पत्र

1. संस्था/संगठन का नाम जागृति एज्युकेशन सोसायटी, व्यावर
 2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) श्रीमति पुष्पांजली पारीक
 3. डाक पता, 1/205, साकेत नगर व्यावर जिला अजमेर
 टेलिफोन नं. फोन 01462 225008
 मोबाइल नं. 94143 47571, 98290 73708
 व मेल आई.डी. jesbwr@gmail.com
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य शैक्षणिक एवं तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान के विकास हेतु
 चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण राजस्थान आवासन मण्डल की योजना व्यावर गढ़ी
 (यदि कोई हो तो) थोरियान आवासिय कालोनी में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ छोड़ी
 भूमि का आवंटन
5. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) लगभग 5000 स्कवायर मीटर
6. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने
 वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)
 जागृति एज्युकेशन सोसायटी, 1984 से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है। सोसायटी ने वर्ष 1984 में
 नर्सरी विद्यालय की स्थापना की और वर्तमान में जागृति सैकण्डरी विद्यालय व्यावर में स्थित साकेत
 नगर के किराये में भवन में चल रही है। सोसायटी द्वारा वर्ष 2006 से टी.पी.पारीक निजि आई.टी.
 आई. की स्थापना की। आई.टी.आई. भी किराये के भवन में चल रही है। सोसायटी विद्यालय और
 आई.टी.आई का विस्तार करना चाहती है जो की किराये के भवन में संभव नहीं इसलिये राजस्थान
 आवासन मण्डल से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ जमीन के आवंटन के लिये आवेदन किया है। जिससे
 आसपास की आम जनता को कम शिक्षण शुल्क पर अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। वर्ष 1984 से
 सोसायटी के पास आय का स्रोत केवल शिक्षण शुल्क एवं चन्दा ही है किराये के भवनों में
 संस्थाओं को चलाने एवं आगे विस्तार नहीं कर पाने की स्थिति में सोसायटी अपने शैक्षणिक लक्ष्य
 को प्राप्त नहीं कर पायेगी।
7. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण सोसायटी को पूर्व में कोई सरकारी भूमि का आवंटन नहीं हुआ है।
8. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
- 1. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है।
 - 2. बाईलॉज/रेग्युलेशन्स संलग्न है।


- ८
3. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न है ।
व बेलेन्स शीट
 4. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए संलग्न है ।
लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो ।
 5. प्रोजेक्ट रिपोर्ट कमबद्ध सैकण्डरी विद्यालय भवन एवं तकनीकी (चाही गई भूमि पर बनने वाले शिक्षा केन्द्र भवन का निर्माण कर कमबद्ध संचालन प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
 6. रुपये 5000/- (पाच हजार रुपये) + 900 जीएसटी (18 प्रतिशत)का बैंक का डी.डी :
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
संलग्न है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय Urban Body आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा ।

दिनांक : ०१/०५/२०१९

स्थान : BWR

७८५।०८।४।८
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
अग्रिम दूसरा फली पारी
नाम व पद
संपर्क
जामुनि मुजूदेराम लोहायटी
बदायर (लालौर)



राजस्थान राज्यपाल



रजिस्ट्रीकरण प्रसाण-पत्र

255/84-85
अमौर 197

यह प्रमाणित दिया जाता है कि आगे दिए गए संकेतों की
नावर दिया जवाब दिया जावे। अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 23, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आव दिया
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे इसाएरो और कार्यालय की सीढ़ी से आव
दिया है इकलीं भार जुलाई तिर एक इकात नी सीढ़ी रातीं
बयान मेरे दिया गया।

टोमरन शाह
रजिस्ट्रार संस्थान, राजस्थान,
बयान।

राजस्थान राज्यपाल, बयान।

(मुख्यमंत्री)